उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
लखनऊः दिनांक-10-08-2026

कार्यालय ज्ञाप

डॉ0 मुकेश कुमार (व0क्र0-10254), मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी के विरूद्ध निम्नलिखित गम्भीर कदाचार/आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित **(Contemplated)** है, को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता हैः-

1- शासकीय कार्यों के प्रति उदासीन रहने,

2-सी0एम0 डैशबोर्ड पर जनपद, वाराणसी की स्वास्थ्य सेवाओं की असंतोषजनक स्थिति होने,

3- आई0जी0आर0एस0 प्रकरणों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण नहीं करने,

4- अधीनस्थों पर शिथिल पर्यवेक्षण होने,

5- उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण-नियमावली, 1956 के नियम-3 का उल्लंघन करने आदि।

2- डॉ0 मुकेश कुमार को निलम्बन अवधि में महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, लखनऊ से सम्बद्ध किया जाता है।

3- निलम्बन की अवधि में डॉ0 मुकेश कुमार को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महँगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महँगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महँगाई भत्ता अथवा महँगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि डॉ0 मुकेश कुमार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

Digitally signed by
AMIT KUMAR GHOSH
Date: 10-08-2026
19:32:28

(अमित कुमार घोष)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, लखनऊ, उ0प्र0।

3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, लखनऊ, उ0प्र0।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी/लखनऊ।

5- जिलाधिकारी, वाराणसी।

6- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी।

7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमित कुमार घोष)

अपर मुख्य सचिव।